



2026:AHC:171636

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 2705 वर्ष 2025

राजेंद्र सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अनुपम दुबे

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, नितेश कुमार,

शैलेंद्र

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. सूची पुनः पुकारी गयी में भी शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
4. आवेदक- राजेंद्र सिंह को वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 के आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामा अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदक के अधिवक्ता श्री शैलेंद्र, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री वी.पी.

त्रिपाठी, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (प्रतिपक्षी) को सुना गया

और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

3. यह आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 432 वर्ष 2024, धारा 420, 467, 468,

471, 120-बी, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- सूरजपुर, जिला- गौतम

बुद्ध नगर में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विवाद मुख्य रूप से दो साझेदारों, सह-आरोपी योगेश गुप्ता और बबीता के बीच है। कथित लेन-देन में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है। आवेदक ने पहले 30.5.2024 को शिकायतकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जो प्रकरण अपराध संख्या 0194 के रूप में पंजीकृत है।" थाना बीटा-2, जिला गौतम बुद्ध नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 के तहत 2024 में प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त कार्यवाही के जवाब में यह अभियोग दायर किया गया है। सह-आरोपी योगेश गुप्ता और बबीता के खिलाफ कई प्रकरण सक्षम न्यायालयों में लंबित हैं। यह प्रकरण पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का विवरण जमानत आवेदन के प्रस्तर संख्या 27 और 28 में तथा पूरक हलफनामे के प्रस्तर संख्या 8ए में दिया गया है। यह निवेदन किया जाता है कि विवेचना जारी है और आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।

5. प्रकरण पर विचार आवश्यक है।

6. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिपक्ष दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा और उन्हें यह समय दिया गया। यदि कोई प्रत्युत्तर हो, तो वह इसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

7. अगली सुनवाई की तारीख तक या धारा 173 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस सूचना प्रस्तुत किए जाने तक, जो भी पहले हो, गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक राजेंद्र सिंह को उपरोक्त प्रकरण में अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित थाना के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए

उपलब्ध रहेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है तो उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करना होगा।

8. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विवेचना अधिकारी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

9. विवेचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान प्रकरण की विवेचना कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, स्वतंत्र रूप से पूरी करे, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार और निर्णय करते समय इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना।

10. आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति आज से दस दिनों के भीतर संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करे, जो इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

11. इस प्रकरण को 11.7.2025 को अतिरिक्त सुनवाई में रखा जाए।”

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कार्यवाही आवेदक द्वारा 30.05.2024 को प्रथम शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण के जवाबी कार्रवाई के रूप में शुरू की गई है। एक विशुद्ध सिविल विवाद को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है। आवेदक 12.05.2025 के पूर्व आदेश के अनुसार नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है।

6. आवेदक को दिनांक 12.05.2025 के आदेश द्वारा पूर्व में अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उक्त आदेश के अनुसरण में, आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है, जो पूरक हलफनामे के साथ संलग्न आदेश पत्र से स्पष्ट है। इस प्रकरण में विवेचना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है, इसलिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 12.05.2025 के आदेश द्वारा आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को **स्थायी** घोषित किया जाता है। आवेदक इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को पारित आदेश में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रहेगा।

8. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. दिनांक 12.05.2025 के आदेश में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

राधिका